

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5  
संख्या : 1/799259/2024/8-5001(099)/67/2024  
दिनांक : 19-11-2024

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली के प्रख्यापन के संबंध में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-5 (ख) के रूप में अकेन्द्रीयित सेवाओं के सृजन के लिए प्राविधान किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में संशोधन के संबंध में विचार-विमर्श कर संसुति एवं संशोधन का प्रारूप उपलब्ध कराये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

(1)	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	पदेन अध्यक्ष
(2)	उपाध्यक्ष, लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	पदेन सदस्य
(3)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	पदेन सदस्य
(4)	निदेशक, आवास बन्धु	पदेन सदस्य संयोजक
(5)	वित्त नियन्त्रक, लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	पदेन सदस्य
(6)	श्री एन0आर0 वर्मा, सलाहकार, आवास बन्धु	सदस्य

2- उक्तानुसार गठित समिति द्वारा एक माह की अवधि में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में संशोधन के संबंध में अपनी संसुति सहित संशोधन का प्रारूप उपलब्ध करायेगी।

Signed by  
(राजेश कुमार राय) Rajesh Kumar Rai  
विशेष सचिव। 19-11-2024 11:07:04

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (2) निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (3) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद।
- (4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- (5) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) वित्त नियन्त्रक, लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
- (7) श्री एन0आर0 वर्मा, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(राजेश कुमार राय)  
विशेष सचिव।